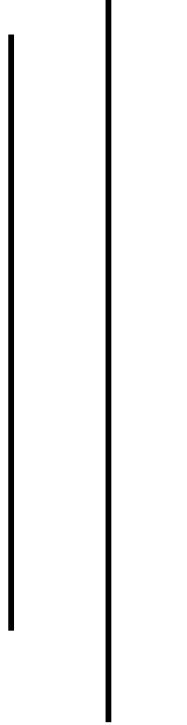




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या— 04 / 2025

झारखण्ड ए.एन.एम. प्रतियोगिता परीक्षा – 2025
(बैकलॉग भर्ती)

JANMCE-2025

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या—11/क.च.आ.—02-17/2022 का.—2700 अनु., दिनांक—16.05.2025 तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक—10/नर्सिंग(स्था0)—05-10/2023-71 (10), दिनांक—11.04.2025 के द्वारा संसूचित **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)** की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति (**बैकलॉग रिक्ति**) के लिए सुयोग्य महिला अभ्यर्थियों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में **झारखण्ड ए.एन.एम. प्रतियोगिता परीक्षा-2025** के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सुयोग्य अभ्यर्थी अर्हता, शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर लॉगईन (login) कर समर्पित किया जा सकता है।

2. **परीक्षा शुल्क:—**

(क) परीक्षा शुल्क रु. 100/— (सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/— (पचास रुपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—8559, दिनांक—23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

➤ रिक्तियों का विवरण : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)
बैकलॉग रिक्ति

क्र. सं.	जिला	कुल रिक्ति	अ0ज0जा0	अ0 जा0	पि0 वर्ग-1	पि0 वर्ग-2	क्षैतिज आरक्षण						
							अंधापन या कम दृष्टि	बहरापन या श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	स्वालीनता एवं बड़ निःशक्ता	महिला (5%)	खेलकूद (2%)	आदिम जनजाति
1	प0 सिंहभूम	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गिरीडीह	83	18	22	24	19	1	1	1	4	2	0	0
3	लातेहार	15	7	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	गोड्डा	13	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	पलामू	15	1	14	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	साहेबगंज	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	दुमका	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	सरायकेला-खरसावा	13	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		161	68	49	25	19	3	2	1	7	2	0	0

कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

- **टिप्पणी-I:** अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। आदिम जनजाति कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विवरणिका के परिशिष्ट-I अथवा III पर धारित विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- **टिप्पणी-II:** आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित करने के जिले में यदि उनके आरक्षण कोटि की रिक्ति उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता उक्त जिले की अनारक्षित कोटि की रिक्तियों तक सीमित कर दी जायेगी।
3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. आरक्षित वर्ग के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की नियमित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-03/2025 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 3020 है। विज्ञापन सं0-04/2025 एवं 03/2025 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त महिला अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।
5. कंडिका-2 में वर्णित पद का वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं.	पद	वेतनमान	विहित शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
(i)	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	अपु. 5200-20200 ग्रेड पे-2400, सांतवा पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-04	क) मैट्रिक या 10वीं पास (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण), ख) 18 माह का ए.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा ग) झारखण्ड राज्य नर्सिंग काउन्सिल से निबंधित।

नोट:- शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन करने के पात्र नहीं समझे जायेंगे।

6. नोट:- I उपर्युक्त कंडिका-5 स्तम्भ-4(ग) में वर्णित झारखण्ड राज्य नर्सिंग काउन्सिल से निबंधन संबंध प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि तक अद्यतन एवं वैध होना अनिवार्य है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i). अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii). खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-'ख' के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	2	3
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध है।

7. आयु सीमा- उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :-

न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2
01.08.2025	01.08.2025

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 18 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा –

- (i) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 40 वर्ष।
- (ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) – 42 वर्ष।
- (iii) महिला [अनारक्षित, आ.क.व., अ.पि.व. (अनु.-1) एवं पि.व. (अनु.-2)] – 43 वर्ष।
- (iv) अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) – 45 वर्ष।
- (v) अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 45 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त "ग" या "ङ" में कोई एक ही मान्य होगा।

(छ) संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए आवश्यक है कि आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक कम से कम पांच वर्ष की वास्तविक संविदा सेवा

पूर्ण कर ली हो तथा वे निरन्तर सेवा में हों। (विस्तृत अनुदेश कंडिका-13 में अंकित है।)

- (ज) संविदा पर अलग-अलग कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मियों को ही पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अधिमानता दिया जायेगा जो योगदान के पश्चात् एक ही प्रकृति के तकनीकी सेवा में लगातार कार्यरत रहे हों तथा इस सेवा अवधि में सेवा में टूट नहीं हो। सेवा में टूट होने पर अलग-अलग कार्यालयों/संस्थानों में किये गये कार्याविधि की गणना लगातार सेवा के लिए नहीं की जायेगी।

8. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:-

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट – XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका-(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र **(परिशिष्ट-XII)** आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

9. I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

10. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

- (क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752, दिनांक-19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर धारित है।

- (ख) दिनांक-19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. (II) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-2669 दिनांक-10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक-10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट- III पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक-29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754, दिनांक-25.02.2019 को अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754, दिनांक-25.02.2019 के आलोक में दिनांक-25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VI पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक-25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

- (ड) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता का नाम तथा उनके स्थायी पते के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व-घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- (ठ) बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में वांछित जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित नहीं करने अथवा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट- IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. अनुभव :-

(I) संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए आवश्यक है कि आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक कम से कम पांच वर्ष की वास्तविक संविदा सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वे निरन्तर सेवा में हों।

संविदा पर अलग-अलग कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मियों को ही पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अधिमानता दिया जायेगा जो योगदान के पश्चात् एक ही प्रकृति के तकनीकी सेवा में लगातार कार्यरत रहे हों तथा इस सेवा अवधि में सेवा में टूट नहीं हो। सेवा में टूट होने पर अलग-अलग कार्यालयों/संस्थानों में किये गये कार्यवधि की गणना लगातार सेवा के लिए नहीं की जायेगी।

(II) नियुक्ति के लिए संविदा पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा— ए.एन.एम.) जो वांछित अहर्ता रखते हों राज्य सरकार/ सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ अधीक्षक/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष संविदा नवीनीकरण में जो समय लगा हो उसे सेवा में टूट नहीं माना जायेगा।

(III) संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि को टूट नहीं माना जायेगा।

(IV) अगर किसी कारण से अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मियों (यथा— ए.एन.एम.) हड़ताल पर गये हों तो सक्षम स्तर से सम्बन्धित अवधि के समायोजन/ स्वीकृति के आलोक में उस अवधि को भी सेवा में टूट नहीं माना जायेगा।

(V) ए.एन.एम. के रूप में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय/ ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी एवं रिनपास, राँची में कार्यरत रहने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के अधीक्षक/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा। अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर उपलब्ध है। उक्त प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक/ आवेदक के पिता के नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए।

14. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:-

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर जाएँ एवं Online Application for **JANMCE-2025** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग-ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध

माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

15. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षेत्रीय आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

16. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :-

आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूर्ण करने हेतु तिथि आयोग के वेबसाईट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जायेगी।

17. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JANMCE-2025 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

18. परीक्षा का स्वरूप :-

आयोग द्वारा ओ0 एम0 आर0 आधारित परीक्षा (OMR)/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ली जायेगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। एक से अधिक समूहों में परीक्षा होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

- (क) परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।
- (ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किये जायेंगे। उक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।
- (ग) मुख्य परीक्षा की अवधि एक घण्टे (कुल 60 मिनट) की होगी, जिसमें कुल- 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।

19. परीक्षा का पाठ्यक्रम:

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) पद हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIV के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

20. न्यूनतम अर्हतांक

लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

(I) अनारक्षित /आ.क.व.	—	40 प्रतिशत
(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	—	32 प्रतिशत
(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -(अनुसूची-1)	—	34 प्रतिशत
(IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2	—	36.5 प्रतिशत
(V) आदिम जनजाति	—	30 प्रतिशत

परन्तु यह कि न्यूनतम पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में न्यूनतम अर्हतांक संबंधी यह प्रावधान शिथिल रहेगा।

21. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :-

लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इण्टरमीडिएट(10+2), तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्यानुभव के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) उपर्युक्त उप कंडिका-20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नवत् की जायेगी:-
- क) **आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक** — 50 अंक (अधिकतम)
- ख) **तकनीकी योग्यता (ए.एन.एम.)** — 10 अंक (अधिकतम)
- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड — 10 अंक
- 60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड — 07 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड — 05 अंक
- ग) **शैक्षणिक योग्यता:-** — 40 अंक (अधिकतम)
- (a) मैट्रिक**
- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड — 20 अंक
- 60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत अंक तक — 15 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड अथवा समकक्ष ग्रेड — 10 अंक
- (b) इण्टरमीडिएट (10+2)**
- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड — 20 अंक
- 60 प्रतिशत से कम अंक तथा 45 प्रतिशत अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड — 15 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड — 10 अंक
- घ) झारखण्ड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए (पांच अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से) — 50 अंक (अधिकतम)
- कुल प्राप्तांक = क+ख+ग+घ = 50+10+40+50 = 150**
- उक्त के आधार पर अधिकतम कुल 150 अंक देय होगा। गणना उपरान्त प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर मेधासूची गठित की जाएगी।
- (ii) उपर्युक्त कंडिका-21 (i) में वर्णित अंकों के योग में अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा।
- (iii) मेधासूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।
- (iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधासूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित

वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- (v) उपर्युक्त उप कंडिका (i) के आधार पर मेधासूची गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।
प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के अभ्यर्थी अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उनके आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधासूची से क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आयोग आमंत्रित कर सकता है।
- (vi) परीक्षा के प्रश्न गलत प्रिंटिंग होने की स्थिति में उक्त प्रश्न को रद्द करने अथवा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक प्रदान करने का फैसला आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

22. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-21 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

23. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता, सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधीन होगी।

24. अन्यान्य:—

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:—
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :—
 - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना एवं Online आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने के कारण।

- (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
- (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
- (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

(xxii) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। इससे पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी।

ह०/—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट—(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि.
—19-11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला

.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....

अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट—(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03—13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....थाना.....
जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:—

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.. पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली
हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती
हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक— 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण
विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.)
दिनांक— 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में
शामिल नहीं हैं।

स्थान :—

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :—

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:— जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

- मैं पिता
- पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
- पोस्ट थाना
- अंचल जिला राज्य
- एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
- समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।
2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।
5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03-13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन
पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को
माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल
..... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में
उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक-
10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.
1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता-पिता द्वारा किये
गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए
वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न
करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

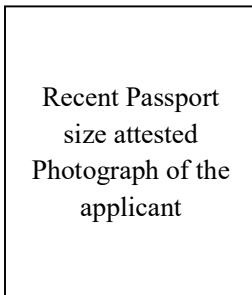
Date

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari
son/daughter/wife of permanent resident of
..... village/street post office
..... District in the State/Union Territory
Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8
Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family
does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the
..... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/
EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/स्थानीयता.नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर.....
पो०.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी
हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के
संकल्प संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016 की कड़िका— में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

पदनाम

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

परिशिष्ट—(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 5752
दिनांक— 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री....
..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण
पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198
दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत
किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित
प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-(X)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध-1

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

निशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी
की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त—

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (i) दोनो टांगे (बी.एल.) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी.ए.) — दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी.एल.ए.) — दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ.एल.) — एक टांग प्रभावित (दायां बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ.ए.) एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी.एच.)— पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन.डब्ल्यू.) — मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी.— अंधापन

(ii) पी. बी.— आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी.— बधिर

(ii) पी. डी.— आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.....वर्षों.....
महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-
- | | |
|--|----------|
| (i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी. पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के. सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii)एस. टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii)डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)	(डॉ०.....)	(डॉ०.....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड ।	चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट—(XI)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/सिविल
सर्जन द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो जो
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
पहचान चिन्ह.....स्थायी पता
..... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया।
जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी भारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट— प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विप्लीशज्ञ)

परिशिष्ट—(XII)

झारखण्ड ए0एन0एम0 प्रतियोगिता परीक्षा – 2025

श्रुतलेखक/स्क्राइब की उपलब्धता हेतु आवेदन प्रपत्र:—

1. अभ्यर्थी का नाम.....2. निबंधन/आवेदन संख्या—
3. अभ्यर्थी की जन्म तिथि—
4. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत—
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम—
6. अभ्यर्थी का पता—.....
.....
7. उपलब्ध कराए जाने वाले श्रुतलेखक/स्क्राइब की भाषा— हिन्दी/अंग्रेजी

पासपोर्ट साईज
स्व अभिप्रमाणित
फोटो

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है।
उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

- अनुलग्नक:— 1. निःशक्तता प्रमाण पत्र/लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र।
2. समर्पित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट (XIII)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीको
दिनांक:-..... को संविदा के आधार पर
(कार्यालय का नाम) में ए.एन.एम. के पद पर नियुक्त किया गया।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इनके द्वारा संविदा के आधार पर दिनांक:-.....
से दिनांक:-..... तक (न्यूनतम 05 वर्ष) कुल-..... पूर्ण वर्ष ए.एन.एम. के पद पर
योगदान के पश्चात् एक ही प्रकृति के तकनीकी सेवा में लगातार कार्यरत रहे हैं तथा इस सेवा
अवधि में टूट नहीं है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—(XIV)

SYLLABUS FOR A.N.M.

Community Health Nursing

Concept of Health, Community Health practices, Health problems and policies, Health Organization, Role of Health team, Structure of Community, Rural community, Dynamics of Community, Community need assessment, Community methods & Media, Counseling, Community based Rehabilitation.

Health Promotion

- A. **Nutrition:** Essential nutrients, Nutritional problems, Nutritional assessment, promotion of Nutrition.
- B. **Human body and Hygiene:** The Human Body, Hygiene of the Body, Optimal functioning of the Body.
- C. **Environmental Sanitation** – Environmental Sanitation, Safe water, Disposal of Excreta and Waste, Community participation.
- D. **Mental Health** – Mental Health, Maladjustment, Mental illness, Old age care.

Primary Health Care

- A. **Infection and Immunization** – Concept of Disease, Infection, Immunity and Body defense mechanisms, immunization, Collection of Specimen (Principles & Methods), Disinfection and Sterilization, waste Disposal.
- B. **Communicable Diseases** – Introduction to Communicable diseases, Communicable diseases, Care in Communicable diseases, Epidemic Management.
- C. **Community Health Problems** – Care of the Sick In the Community, Fever (Vital signs), Respiratory problems (Types & Classification), Aches and Pains (Nursing Management), Digestive problems, Urinary Problems, Cardiovascular problems (Signs & Symptoms), Diseases of the nervous system (Neurological problems, Metabolic diseases, Diseases of Musculo-skeletal system, care of Handicap.
- D. **Primary Medical Care** – Types of Drugs, Administration of Drugs, Drugs used in minor ailments, Common Emergency Drugs
- E. **First Aid and Referral** – Need for First Aid, Minor Injuries and Ailments, Fractures, Life threatening conditions.

Child Health Nursing

Growth & Development, Nutrition of Infants and Children, Children's Rights, Care of the sick child, Care of School children, School Health, Care of Adolescents, Care of Adolescent girls

Midwifery

Human Reproductive System, Female Pelvis and Foetal skull, Foetus and Placenta, Normal Pregnancy, Antenatal Care, Normal Labour, Care during Normal labour, Normal puerperium, Care of New-born, High risk New-Born, Safe Mother-hood, High risk Pregnancies, Abnormalities of pregnancy, Abortion, Abnormal childbirth, Abnormal puerperium, Surgical Intervention, Medications used In midwifery, Life cycle approach, Status of women and empowerment, women Health Problems, RTIs and STIs, HIV/AIDS, Infertility, Population Education, Family welfare.

Health Centre Management

The Sub-centre, Maintenance of Stock, Co-ordination, Implementation of National health programs, Update knowledge.